



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

कमांक-89

आर.बी.ई. सं.- निल

File No: NER-HQ0PERS(POLI)/114/2021-O/o SPO/HQ/HQ/NER (**Com. No:** 60907) दिनांक 06-10-2021

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

वरिष्ठ विधि अधिकारी

पूर्वोत्तर रेलवे ।


विषय :- विभागीय परीक्षा हेतु पद्धति सुधार के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- महाप्रबन्धक/सतर्कता कार्यालय/गोरखपुर का पत्र सं. जेड/13/वी-4/2021/
07/01108/पीसी/112 दिनांक 20.09.2021

.....

विषयगत मामलें में महाप्रबन्धक/सतर्कता/गोरखपुर के संन्दर्भित पत्र दिनांक 20.09.2021 की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।


संलग्नक/यथोपरि


(अजित कुमार श्रीवास्तव)

सकाधि/एमपीपी

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि :-वसताधि/लेखा का पत्र सं. जेड/13/वी-4/2021/07/01108/पीसी/112
दिनांक 20.09.2021 के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित ।


कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रमुकाधि.....

मुकाधि/प०.....

NORTH EASTERN RAILWAY

कार्यालय

महाप्रबन्धक / सतर्कता

गोरखपुर - 273012

Office of the General Manager (Vig)

Gorakhpur - 273012

ISO 9001:2000

सं. Z / 13 / V4 / 2021 / 07 / 01108 / पी०सी० / 112

दि० 20.09.2021

प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्वोत्तर रेलवे
गोरखपुर

विषय:- विभागीय परीक्षा हेतु पद्धति सुधार के सम्बन्ध में।

विभागीय परीक्षा की एक सतर्कता निवारक जाँच की गई। जाँच में पाया गया कि परीक्षा में बुलाये गये परीक्षार्थियों के लिए बैठने हेतु कोई सीटिंग प्लान नहीं था, न ही उन्हें कोई रोल नम्बर आवंटित किया गया था। परीक्षा के लिए कोई प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया था, उनका केवल spare letter के आधार पर परीक्षा लिया जा रहा था, spare letter ग्रुप में अथवा Individual बना पाया गया। परीक्षा में जो वीक्षक लगाये गये थे उनके पास रेलवे आई डी नहीं था। कोविड-19 का अनुपालन नहीं किया गया था।

अतः उपरोक्त के आलोक में निम्न पद्धति सुधार जारी किया जाना अपेक्षित है :-

1. परीक्षार्थियों को रोल नम्बर आवंटित किया जाना चाहिए।
2. परीक्षार्थियों के लिए सीटिंग प्लान रोल नम्बर के अनुसार बनाना चाहिए।
3. परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जाना चाहिए न कि स्पेयर में के आधार पर परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए।
4. जो कर्मचारी परीक्षा के दौरान वीक्षक हेतु लगाये जायें, उनके पास आई डी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
5. कोविड-19 के लिए जारी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।

उपरोक्त पर व०उ०म०प्र० महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(जय प्रकाश)

वसताधि / लेखा

कृते महा प्रबन्धक / सतर्कता

1474